🍑 🛚 🥙 आपराधिक प्रकरण कमांक 579 / 2013

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 579 / 2013 इं0फो0 संस्थापित दिनांक 23/08/2013

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद,जिला भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

AN LALEDA बनाम भूरा उर्फ रवि पुत्र श्री ताती मिर्धा उम्र 23 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम पिपरोली गोहद पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा–25 (1–बी) (बी) आय्ध अधिनियम ।) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री एम०एस०यादव)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 18/11/2016) को घोषित किया)

- आरोपी पर दिनांक 10/08/13 को 22:00बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत धारा म0प्र0 शासन की अधिसूचना कमांक 6312-6552 -11-बी (1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।
- संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10/08/13 को पुलिस थाना गोहद के ए०एस०आई राजपाल सिंह तोमर मय फोर्स शासकीय वाहन से कस्बा गश्त पर खाना ह्ये थे रोड पेट्रोलिंग करते हुये वह एचाया रोड गोहद बाला जी मंदिर के पास पहुचे थे तो सर्च लाईट में मंदिर की उत्तर की तरफ एक व्यक्ति छिपा हुआ दिखा था जिसे टोका था तो वह पीछे की ओर धीरे धीरे चलने लगा था तब मंदिर पर मौजूद मुन्ना खटीक एवं फोर्स की मदद से उसे घेरकर पकडा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भूरा उर्फ रवि बताया था। तलाशी लेने पर उसके दाहिनी तरफ कमर में पेंट के नीचे एक लोहे की छुरी खुसी हुई मिली थी । आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाईसेस नहीं था आरोपी से उसने मौके पर ही छुरी जप्त कर एवं आरोपी को गिरफतार कर जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही की

थी। तत्पश्चात थाना वापिस आकर उसने आरोपी के विरूद्ध अप०क्र0129 / 13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध करने से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक पृथक से अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10/08/13 को 22:00बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मुन्ना खटीक आ0सा01,ए0एस0आई मूलचन्द्र आ0सा02,ए0एस0आई तहसीलदार आ0सा03,एवं ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा04 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०4 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त कियाहै कि वह दिनांक 10/08/13 को मय फोर्स थाना गोहद से रोड पेट्रोलिंग के लिये रवाना हुआ था। दौराने गश्त बाला जी मंदिर के सामने पहुंचा था जहां पर एक व्यक्ति उसे मिला था नाम पता पूंछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम भूरा उर्फ रिव मिर्धा बताया था। संदेह होने पर उसकी तलाशी ली थी तो उसके पास से लोहे की छुरी जिसकी लम्बाई 8 इंच थी अवैध रूप से पाई गई थी। छुरी पाये जाने से उसने आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 साक्षियों के समक्ष बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मौके पर ही उसने आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा रवानगीप्र0पी05 एवं वापसी प्र0पी06 है। उसने आरोपी के विरूद्ध प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपीट लेखबद्ध की थी जिसके एसेएभाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उबत्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि थाने से वह लोग चैकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे वह चक्धारी मंदिर के अलावा गोहदी गांव मंडी रोड एवं बरथरा रोड गये थे इसके बाद एचाया रोड पहुंचे थे। उक्त स्थानों पर पेट्रोलिंग में उसे तीन साढे तीन घंटे का समय लगा था। एचाया रोड पर वह 21:40 बजे पहुंचे थे। पद क03 में इस साक्षी का कहनाहैकि आरोपी छिपा बैटा था वह जगह से भागा नहीं था। उसने टार्च के प्रकाश से लिखा पढी की थी।
- 8. ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल

सिंह आ0सा04 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ए0एस0आई राजपाल सिंह के साथ बाला जी मंदिर के पास जाने तथा आरोपी से छुरी जप्त करने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया हैकि दरोगा जी ने उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी01 एवं आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी02 बनाया था जिनके कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 9. साक्षी मुन्ना खटीक आ०सा०1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन हाटना का समर्थन नहीं किया गयाहै एवं घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०2 के कमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया हैिक पुलिस ने उसके सामने आरोपी से छुरी जप्त की थी एंव इस सुझाव से भी इंकार किया हैिक पुलिस ने उसके सामने आरोपी भूरा को गिरफतार कियाथा।
- 10. ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा०३ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाहैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटनाका समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता हैं।
- प्रस्तुत प्रकरण में ए०एस०.आई राजपाल सिंह आ०सा०४ जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में यह बताया है कि वह थाने से चैंकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे तथा चैंकिंग के दौरान वह चक्रधारी मंदिर गोहदी गांव मंडी रोड एवं बरथरा रोड गये थे इसके बाद वह एचाया रोड पहुंचे थे। जबकि ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ का कहना हैकि वह गोहद थाने से सीधे पेट्रोलिंग के लिये एचाया रोड पर गये थे। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बतायाहै कि वह थाने से चैकिंग के लिये 18:50 पर निकले थे तथा तीन साढे तीन घंटे बाद वह 21:40 बजे एचाया रोड पर पहुंचे थे जबिक जप्ती की कार्यवाही के साक्षी ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ ने कथन किया हैकि थाने से निकलने के एक घंटे बाद ही वह बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड पर पहच गये थे। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ0सा04 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जब उसने आरोपी को पकडा था तो आरोपी भागा नहीं था वह छिपा हुआ बैठा था जबिक ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ का कहना है कि मंदिर से आरोपी थोडी दूर भागा था तब आरोपी को दरागा जी ने पकडा था। जप्तीकर्ता राजपाल सिंह आ०सा०४ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया हैकि उसने टार्च के प्रकाश से मौके पर लिखा पढी की थी जबकि जप्ती के साक्षी मूलचन्द्र आ०सा०२ का कहना है कि गिरफतारी और जप्ती पंचनामा गाडी की लाईट के सामने बनाया गया था। इस प्रकार ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ एवं मूलचन्द्र आ0सा02 के कथनों से यह दर्शित हैकि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर अत्यन्त विरोधाभाषी रहे है। उक्त विरोधाभाष अत्यन्त तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 579/2013

- 13. जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ ने अपने कथन में आरोपी से 8 इंच लम्बी छुरी जप्त करना बताय है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसे आरोपी के शरीर के किस भाग से उक्त छुरी बरामद हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी की पहचान के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 14. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ ने अपने कथन में आरोपी से लोहे की छुरी जप्त करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ ने भी जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। यघि प्र०पी०1 के जप्ती पंचनामें में जप्तशुदा छुरी के मौके पर शीलबंद करने का उल्लेख है परन्तु यह बात जप्तीकर्ता राजपाल सिंह आ०सा०४ एवं साक्षी मूलचन्द्र आ०सा०२ द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। इसके अतिरिक्त जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 में जप्तशुदा छुरी को मौके पर शीलबंद करने का उल्लेख है परन्तु ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दोरान यह व्यक्त किया गया है कि जब जप्ती की कार्यवाही की गई थी उस समय शील चपडी आदि सामग्री साथ में नहीं थी। इस प्रकार मूलचन्द्र आ०सा०२ के कथनों से यहीं दर्शित होता है कि तथा कथित जप्ती की कार्यवाही के समय पुलिस के पास शील बंद करने की सामग्री शील चपडी इत्यादि नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है कि उक्त छुरी को मौके पर शीलबंद किया गया था एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०1 की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।
- 15. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ एवं मूलचन्द्र आ०सा०२ ने आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है परन्तु जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक आ०सा०१ द्वारा उक्त कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया हैकि उसके सामने आरोपी से लोहे की छुरी जप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक आ०सा०१ द्वारा ए०एस०आई मूलचन्द्र आ०सा०२ एवं राजपाल सिंह आ०सा०४ के कथन कासमर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०४ एवं मूलचन्द्र आ०सा०२ ने घटना दिनांक को थाने से मय फोर्स रोड पेट्रोलिंग के लिये रवाना होना बताया है परन्तु इस संबंध में अभियोजन द्वारा रोज नामचा सान्हा विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 17. उपरोक्त चरणो में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित हैकि प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०4 एवं मूलचन्द्र आ०सा०2 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं । स्वतंत्र साक्षी द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। रोजनामचा सान्हा भी विधिवत प्रमाणित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 18. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है

तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहाहैिक आरोपी ने दिनांक 10/08/13 को 22:00 बजे बाला जी मंदिर के पास एचाया रोड गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निशेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी भूरा उर्फ रिव को संदेह का लाभ देते हुये उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

0 आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत मुचलके भारहीन किये जाते है।

21. प्रकरण में जप्तशुदा छुरी पूर्व मे ही नष्ट हो चुकी है। अतः प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

THIS STATE OF SUN

स्थान – गोहद दिनांक – 18/11/2016 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। सही/–

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)